कैलाश V/s सरकार [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तामील न [illegible] हेतु पत्रावली दिनांक 26.3.25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी [illegible] (जिला जयपुर)
26/3/25	[illegible] हुई। वकुलाय [illegible] कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17.4.25 को पेश हो। [signature]
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्य नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 01-5-25 को पेश हो। [signature]
01/5/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/[illegible] रहने के का[illegible] [illegible] सकी। पत्रा[illegible] 22/5/25 को पेश हो। [signature]
22/5/25	पत्रावली [illegible] हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के [illegible] कार्यवाही नही की जा सकी। [illegible]वली दिनांक 5/6/25 को पेश हो। [signature]
05/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के [illegible] कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/6/25 को पेश हो। [signature]
12/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डो[illegible] कार्य स्थगित करने के [illegible] कार्यवाही नही की जा सकी। [illegible]वली दिनांक 13/6/25 को पेश हो।
13/06/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। बावजूद अवसरो के जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बन्द किया जाता है। सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने एवं जवाब पेश नहीं करने

पर अप्रार्थीगण स. 2,3 व 5 ता
7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही
अमल में आई जाती है। अप्रार्थी
स. 1 की ओर से जवाब प्रा.
पत्र पेश होकर नकल दिलाई
जाकर शामिल पत्रावली है।

प्रकरण पर बहस उभयपक्ष
अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
का अवलोकन करके एवं उभयपक्ष
अधिवक्ता की पूर्व बहस पर
मनन किया गया।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र LR Act
128 स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर शामिल पत्रावली है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक
13.01.25 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :— 282/2024   जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2024/409

1. कैलाश चन्द पुत्र प्रभात
2. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभात
3. बद्रीनारायण पुत्र प्रभात
4. रामकिशन पुत्र रणजीता
5. गोपी देवी पत्नी रणजीता
6. श्रवण पुत्र गोविन्दा

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम मालीहाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र रमरया
3. ग्यारसा पुत्र पांच्या
4. नारायण पुत्र पांच्या
5. प्रेम पुत्री गैन्दा
6. रंगलाल पुत्र मोहना
7. सीताराम पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम मालीहाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगणगण:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0–प्रार्थीगण।
श्री सुधीर शर्मा, एड0– अप्रार्थी संख्या 4

—:निर्णय:—   दिनांक 13/06/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3920 है0, खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1632 है0 वाके ग्राम मालीहाला पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 23.06.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3920 है0, खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1632 है0 वाके ग्राम मालीहाला पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 23.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आये, बावजूद अवसरों के जवाब पेश नहीं करने एवं बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 ता 7 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 23.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3920 है0, खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1632 है0 वाके ग्राम मालीहाला पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेश की। वही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3920 है0, खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1632 है0 वाके ग्राम मालीहाला पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 23.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 23.06.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :– *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3920 है0, खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.2655 है0, खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1632 है0 वाके ग्राम मालीहाला पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2024 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner